



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना - 800 001
Office of The Principal Accountant General
(Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001
Telephone: 0612- 2221226,
Email: agaubihar@cg.gov.in



संख्या : संपदा/आ०आवंटन/2026-27/JT-17

दिनांक-23.04.2026

कार्यालय आदेश

सरकारी आवास, जो प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में है, आवंटन नियमावली 2021 के अनुसार, ऑडिट कॉलोनी (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर) स्थित निम्नलिखित सरकारी आवास के अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है।

ऑडिट कॉलोनी (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर):-

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम (सर्व श्रीमति/श्री)	कार्यालय का नाम	Emp ID No	आवंटित आवास सं०	आवास टाईप
1.	अजय कुमार सिंह नं० 2, स०ले०प०अ०	लेखापरीक्षा	BHPTA3031541	C-2/06	IV
2.	मो० एकबाल अंसारी, एम० टी० एस०	लेखापरीक्षा (पूर्व मध्य रेल)	BHHJR6130113	A-1/07	II

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules 2021 के नियम 7 (3) के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 8 दिनों के अन्दर अपनी स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी को दें। नियमावली प्रावधान 7 (4) के अनुसार आवंटन स्वीकार की स्थिति में 5 कार्य दिवस के अन्दर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग महालेखाकार भवन, पटना से उस आवंटित आवास का अधिग्रहण करना होगा। आवंटी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आवंटित आवास में कोई मरम्मत कार्य की जरूरत नहीं है। मरम्मत कार्य होने की स्थिति में सी. पी. डब्लू डी. से समन्यवय कर मरम्मत कार्य कराकर आवंटित आवास का अधिग्रहण करें। निर्धारित शुल्क की कटौती अधिग्रहण की तिथि से की जाएगी।

आवंटन अस्वीकार अथवा स्वीकृति पश्चात अधिग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवासीय नियमावली प्रावधान 7 (5) (1) के तहत अगले तीन महीने तक आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं एक महीने की अनुज्ञप्ति शुल्क भुगतान करने को बाध्य होंगे। Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules, 2021 के अन्य नियम एवं शर्तें लागू होंगे।

आवंटी द्वारा विद्युत कनेक्शन अपने ही नाम से लेना अनिवार्य है। इसकी सूचना अधिग्रहण से 15 दिनों के अंदर संपदा अनुभाग को दिया जाय। आवास रिक्त करने से पहले विलों का पूर्ण भुगतान करके विद्युत विच्छेदन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के विना कनेक्शन विच्छेद के आवास का अधिपत्य वापस नहीं लिया जायेगा तथा नियमानुसार निर्धारित पिनल चार्ज की वसूली वेतन से किया जायेगा।

— इस्ता/० —
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचार्य एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

संख्या : संपदा/आ०आवंटन/2026-27/

दिनांक- .04.2026

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का सचिवालय।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (दावा-1)
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेल, महाप्रबंधक कार्यालय परिसर, एस०बी०आई ए०टी०एम के पीछे, हाजीपुर, बिहार-844101.
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस. से अनुरोध है कि कार्यालय के वेबसाइट पर कार्यालय आदेश का प्रदर्शन सुनिश्चित कराएँ।
6. कार्यपालक अभियंता (सिविल), पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या के. लो. नि. विभाग, पुनाईचक पटना-23
7. कार्यपालक अभियंता (विद्युत) पटना केन्द्रीय विद्युत प्रमंडल, के.लो.नि. विभाग, पुनाईचक, पटना-23
8. सहायक अभियंता (सिविल) के. लो. नि. विभाग ऑडिट भवन, पटना।
9. सहायक अभियंता (विद्युत) पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या 1. के.लो.नि. विभाग, पुनाईचक, पटना-23
10. संबंधित व्यक्ति।

Digitally signed by
Diwakar Ray
Date: 22-04-2026
16:32:20

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सम्पदा)

दूरभाष / Phone - 2221941, 2223194, 2506233, 2223725, 2506091, 2223757